Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 24, 2012
(BHADRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2012

No. 27—HLA of 2012/50.—The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :

Bill No. 27—HLA of 2012

THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2012. Short title

Amendment of section 22 of Punjab Act 41 of 1963.

2. Clause (aa) of section 22 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (hereinafter called the principal Act) shall be omitted.

Amendment of section 25 of Punjab Act 41 of 1963.

3. For sub-section (1) of section 25 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act and may give them prospective or retrospective effect.".

Repeal and savings.

4. (1) The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Ordinance, 2012 (Haryana Ordinance No.4 of 2012), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In year 2003, section 22 (aa) of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 was inserted wherein area adjacent to the abadi deh of any village which Government identifies for village expansion through a notification to such effect was taken out from purview of the Act *ibid*. A limit of 60% was imposed on such expansion of village abadi. While implementing the above referred provision, some practical difficulties came to the notice of the Government such as absence of rational criteria to fix boundary of extended village abadi (in view of aforesaid limit of 60%) as most of the villages have expended beyond 60% of their original abadi deh. In fact, even unauthorised colonies in the vicinity of Lal Dora of the village abadi carved out in violation of provisions of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, would also get *de-facto* regularised under the disguise of exemption under section 22 (aa) of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963. In view of above facts and ground realities, purpose for which section 22 (aa) was inserted in Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 is neither being served nor likely to be served in future. Even Revenue & Disaster Management Department, Haryana mentioned that the exemption from the Act *ibid* could have severe adverse implications resulting in unregulated structures coming up in the area. Moreover, implementation of this provision would create legal complications, resentment and likely to be misused, hence, this bill to repeal/omit section 22 (aa) of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

As far as amendment in Section 25 is concerned, the Department is levying conversion charges for commercial use for 150 FAR and also for 175 FAR. The practice in the Department is that notified conversion charges are taken in case of 150 FAR and for levying of conversion charges for 175 FAR additional 1/6th of notified conversion charges are taken. The Amendment is proposed in Section 25 (1) of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 so as to give it a statutory backing. This amendment would authorized Department to charge differential rates for FAR of 150 and 175 retrospectively.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2012 का विधेयक संख्या 27—एच०एल०ए०

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2012

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 2012, कहा जा सकता है।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 22 का संशोधन।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 22 के खण्ड (कक) का लोप कर दिया जाएगा।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 25 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्

> "(1) सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है तथा उन्हें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव दे सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्ष 2003 में पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में धारा 22 (कक) को डाला गया था, जिसमें गांव की आबादी देह के विस्तार के लिए, अधिसूचना के माध्यम से, सरकार द्वारा चिन्हित किये गये ऐसे क्षेत्र जो आबादी देह के साथ लगते हैं, को उपरोक्त अधिनियम के प्रभाव से मुक्त करने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त वर्णित आबादी देह के विस्तार के लिए 60% की सीमा का निर्धारण पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 22(कक) में किया गया था। पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 में धारा 22 (कक) के प्रावधानों को लागू करने में सरकार के सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आई जैसे कि बढ़ी हुई गांव की आबादी की सीमा का निर्धारण करने के लिए तर्कसंगत मापदण्ड का अभाव (60% की उपरोक्त वर्णित सीमा के मध्यनजर) क्योंकि अधिकतर गांवों में बढ़ी हुई आबादी मूल आबादी की 60% की सीमा से कहीं ज्यादा है। पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में धारा 22 (कक) के अन्तर्गत दी गई छूट की आड़ में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों की उल्लंघना में लाल डोरा की सीमा के साथ विकसित हुई अनधिकृत कालोनियां भी स्वत: ही नियमित हो जाएंगी। उपरोक्त तथ्यो और जमीनी वास्तविकताओं के मध्यनजर पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में धारा 22(कक) को सम्मिलित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तथा न ही भविष्य में इसके पूरा होने की संभावना है। यहां तक कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, ने भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त अधिनियम की छूट से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा परिणाम स्वरूप क्षेत्र में अनियोजित संरचनाओं का विकास होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रावधान के कार्यान्वयन से कानूनी जटिलताएं, असंतोष बढ़ेगा और इसके दुरुपयोग की संभावना रहेगी। इसलिए इस बिल द्वारा पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में धारा 22 (कक) को निरस्त किया जाता है।

जहा तक धारा 25 में संशोधन का सम्बन्ध है, विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए 150 एफ०ए०आर० एवं 175 एफ०ए०आर० के लिए परिवर्तन शुल्क/प्रभार लिए जाते हैं। विभाग की यह प्रथा रही है कि अधिसूचित परिवर्तन प्रभार 150 एफ०ए०आर० के लिए मानी जाती है एवं 175 एफ०ए०आर० के लिए उपरोक्त अतिरिक्त 1/6 अधिसूचित परिवर्तन शुल्क/प्रभार लिए जाते हैं। धारा 25 की उपधारा (1) में बदलाव से विभाग को कानूनी समर्थन प्राप्त हो जाएगा। इस संशोधन से विभाग को 150 एफ०ए०आर० एवं 175 एफ०ए०आर० के लिए विभिन्न दर पूर्वप्रभावी से लागू कर सकता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
24 अगस्त, 2012.

सुमित कुमार,
सचिव।

50258-H.V.S.-H.G.P., Chd.